ग्राम पंचायत घियोरी, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.13 से 31.03.16

1 प्रस्तावना (क) :-

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत **घियोरी**, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

1	श्रीमति शोभा रानी	1-3-2013 से 22-1-2016
2	श्रीमति सोना देवी	23-1-2016 से लगातार

सचिव :-

1	श्री दिग्विजय सिंह	1-4-2013 से 9-7-2014
2	श्री विजय कुमार	10-7-2014 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत घियोरी के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र०सं०	**पैरा सं०**	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि (लाखों में ₹)**
1	6	प्राप्त अनुदानों की राशि को रोकड़ बही में दर्ज किये बिना ब्यय करना	3.76
2	8	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.07
3	9	अनुदान का उपयोग न करना	8.47
4	10	प्राप्त अनुदानों की राशि से अधिक व्यय	0.10

5	12	अनियमित आहरण/संभावित गवन	0.46
6	13	Assessment बिना Assessment के निर्माण कार्यों का भुगतान	0.49
7	14	पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गयी मदों को स्टॉक रजिस्टर में न दर्ज करना;	2.46

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत घि योरी, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 4/2013 से 03/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह , अनुभाग अधिकारी व श्री जीवन कुमार , कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 10-8-2016 से 18-8-2016 तक खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013-14	3/2014	10/2013
2014-15	3/2015	8/2014
2015-16	3/2016	11/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत घियोरी, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹7200/- को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 192 /2016 दिनांक 18-8-2016 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत घियोरी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि

01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) **<u>स्व: स्त्रोत</u>:-** ग्राम पंचायत घियोरी के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	49515.54	81169	130684.54	54381	76303.54
2014-15	76303.54	85534	161837.54	60354	101483.54
2015-16	101483.54	54040	155523.54	41743	113780.54

(2) **<u>अनुदान :-</u>** ग्राम पंचायत घियोरी के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	-142587.93	1907752	1765164.07	1437668	327496.07
2014-15	327496.07	1227231	1554727.07	1132088	422639
2015-16	422639	1966561	2389200	1542661	846539

5 <u>बैंक समाधान विवरणी</u> :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत घियोरी द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के की अनुपालना मे मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की जिस कारण बर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत मे दिनांक 31-03-2016 को निम्नानुसार रोकड़ वही तथा बैंक खातो मे ₹38168.54 का अंतर था। अत: पंचायत की रोकड़ वहियो का बैंक खातो से मिलान कर के अनुपालना से इस विभाग को अवगत करे।

1 रोकड़ वही खाता क पैरा 4(1)का अन्तशेष ₹113780.54

2 रोकड़ वही खाता ख पैरा 4(2) का अन्तशेष ₹846539.00

योग ₹960319.54

<u>अन्तशेष का विवरण</u>:- दिनांक 31-03-2016 को अंत शेष का विवरण निम्नानुसार था।

क्र संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1	काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित प्रागपुर	20073018628	769105
2	काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित चन्नौर	50060805491	3773

3	काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित चन्नौर	50056012689	2190
4	काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित चन्नौर	50056012678	292
5	काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित चन्नौर	50056012725	1430
6	काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित चन्नौर	50056012758	53609
7	काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित चन्नौर	50056012612	7657
8	काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित चन्नौर	50056012690	10466
9	काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित चन्नौर	50056012690	10466
10	काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित चन्नौर	50056012747	8629
11	काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित चन्नौर	32215019182	31095
12	काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित चन्नौर	50059342604	33340
		Total	**921586**
		हस्तगत राशि	**565**
		योग	**₹922151**

अंतर 960319.54 - 922151= ₹38168.54

6 प्राप्त अनुदानों की राशि ₹3.76 लाख को रोकड़ बही में दर्ज किये बिना ब्यय करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (1) के अनुसार जब ग्राम पंचायत द्वारा धन प्राप्त किया जाता है तो ग्राम पंचायत का सचिव, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (साधारण) नियम 1997 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “साधारण नियम” कहा गया है) से सलंग्न प्ररूप-3 पर, अमिट स्याही से सम्यक रुप से हस्ताक्षरित रसीद धन संदत करने बाले व्यक्ति निधिकरण अभिकरण को जारी करेगा और इसका प्रतिपर्ण कार्यालय में रखा जाएगा , परन्तु ग्राम पंचायत घिओरी द्वारा न तो इन

अनुदानों को रोकड़ बही में दर्ज किया गया ओर न ही इनकी रसीद प्रारूप 3 पर जारी की गई। इन अनुदानों को अंकेक्षण अवधि 4/2013 से पहले प्राप्त किया गया था जिनका व्यय ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2013 से पहले करते हुए भुगतान वाउचरों की प्रविष्टि तो रोकड़ वही में दर्ज कर दी गयी थी , परन्तु अनुदानों की प्राप्ति की प्रविष्टी अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नानुसार की गयी जिसके कारण स्पष्ट किये जाएं तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति पर अंकुश लगाया जाए।

ग्रांट का नाम	बैंक में जमा करने की तिथि	राशि	रोकड़ बही में दर्ज करने की तिथि
TFC	14-12-2009	21652	27-12-2013
SFC	28-7-2010	3300	27-12-2013
TFC	3-3-2011	63005	27-12-2013
SFC	6-4-2011	3300	27-12-2013
SFC	14-9-2011	52500	27-12-2013
SFC	29-7-2011	1500	27-12-2013
TFC	1-8-2011	44706	27-12-2013
SFC	30-8-2011	5969	27-12-2013
SFC	28-10-2011	12900	27-12-2013
SFC	16-2-2012	12900	31-3-2014
SFC	16-2-2012	2550	31-3-2014
SFC	29-2-2012	6600	31-3-2014
TFC	14-3-2012	33456	31-3-2014
SFC	16-4-2012	2550	31-3-2014
TFC	29-6-2012	48190	18-4-2014
TFC	8-8-2012	24425	18-4-2014
TFC	31-8-2012	9349	25-6-2014
SFC	25-3-2013	12900	25-6-2014
NRHM	14-5-2012	10000	31-3-2014
SFC	12-7-2012	3700	18-4-2014
	TOTAL	**375552**	

7 <u>निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना</u> :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

8 पंचायत राजस्व की वसूली :-

पंचायत सचिव घियोरी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2016 तक पंचायत राजस्व गृहकर की ₹6975 वसूली हेतु शेष थी|

1 गृहकर:-

वर्ष	**अथशेष**	**मांग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि**
2013-14	00	12750	12750	12750	50
2014-15	50	38250	38300	34325	3975
2015-16	3975	40725	44700	37725	6975

(2) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अत: गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 अनुदान ₹8.47 लाख का उपयोग न करना ;-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान ₹846539 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से

अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

10 **प्राप्त अनुदानों की राशि से ₹0.10 लाख का अधिक व्यय**

सचिव ग्राम पंचायत घि योरी द्वारा उपलब्ध करवाए गये आंकड़ो तथा वितीय स्थिती के अनुसार NRHM अनुदान में दिनांक 31-03-2016 को ₹10000 की राशि ऋणात्मक दर्शाई गयी है। जो कि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन NRHM अनुदान में अथवा किसी अन्य योजना से NRHM अनुदान का भुगतान करने के फलस्वरूप है। इस चूक का नियमानुसार निराकरण सुनिशचित करते हुए अवगत करवाएं।

11 **सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :---**

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं। चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है , क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारिओं के ध्यान में लाया जाता है।

12 **₹0.46 लाख का अनियमित आहरण/संभावित गवन/दुर्विनियोजन :-**

ग्राम पंचायत के काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित के बचत खाता संख्या 200730118628 से दिनांक 15-10-2013 को ₹46275 की राशि आहरित की गई तथा इस आहरण के विरुद्ध रोकड़ वही में निम्नानुसार ₹22900 के भुगतान वाउचर दर्शाए गये। शेष बची ₹23375 (₹46275-₹22900) को वापिस पंचायत निधि में जमा नहीं करवाया गया। इसके अतिरिक्त ₹21900 का भुगतान वाउचर अभिलेख में उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार उक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए ₹45275 (₹21900+₹23375) का पंचायत पदाधिकारियों द्वारा दुर्विनियोजन किया गया जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

वाउचर संख्या	मास	विवरण	राशि	टिप्पणी

26	10/2013	सीमेंट बिल	21900	मूल बिल/वाउचर अभिलेख में नहीं था।
27	10/2013	किराया	1000	
		योग	**22900**	

13 AssessmentAssessment के बिना भुगतान करना :-

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या: एस एम् एस -17 /2002-आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता की assessment Assessment के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा। परन्तु जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** पर दिए गये विवरण के अनुसार पंचायत द्वारा ₹**48592** का भुगतान assessment Assessment assessmentके बिना किया गया । अत: इस अनियमितता बारे उचित सपष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए assessmentके बिना भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए।

14 पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गयी मदों ₹2.46 लाख का स्टॉक रजिस्टर में न दर्ज करना;-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अध्याय (Chapter)½ (viii) में स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹246084 के स्टॉक/स्टोर का क्रय पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए किया गया ,जिसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। जाँच में यह भी पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयी मदों का क्रय बिना निविदाएँ प्राप्त किए किया गया है। अत; बिना निविदाओं के निर्माण सामग्री का क्रय करने तथा सामग्री को भण्डार रजिस्टर में दर्ज न करने बारे वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाए तथा इस अनियमितता को उच्च अधिकारियों की स्वीकृती प्राप्त करके नियमित करवाया जाए। क्रय की गयी मदों का नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में खपत सहित इंद्राज किया जाए तथा अनुपलना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 अदायगी आदेश (पे आर्डर) के बिना भुगतान करना ;-

ग्राम पंचायत के भुगतान वाउचरों की जाँच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 49(1)व (2) के

अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिए नकद मे या चेक द्वारा कोई भी संद्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि यह ग्राम पंचायत के प्रधान और पंचायत के सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए सयुंक्तत; हस्ताक्षरित अदायगी धारित नही करता है। जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा संयुक्त भुगतान आदेशों के बिना ही भुगतान किया गया जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अत; नियमों के विपरीत भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही भुगतान करना सुनिशित किया जाए।

16 **मापन पुस्तिकाओं का सत्यापन न करना :-**

ग्राम पंचायत घियोरी की मनरेगा अनुदान के अंतर्गत करवाए गये कार्यों के मूल्यांकनों की मापन पुस्तिकाएं तकनीकी सहायकों द्वारा लिखी गयी परन्तु मापन पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं किया गया और न ही test check किया गया। अत: उक्त के अभाव में मुल्यांकन तथा भुगतान का ओचित्य स्पष्ट किया जाए।

17 **मस्टररोल को निर्माण कमेटी तथा VIGILANCE कमेटी से सत्यापन न करवाना:-**

ग्राम पंचायत घि योरी द्वारा लाखों रुपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाए गये तथा उन्हें मस्टररोल पर भुगतान किया गया, परन्तु नियमानुसार मस्टररोल को निर्माण कमेटी तथा Vigilance VIGILENCकमेटी से सत्यापन नहीं करवाया गया। अत: उक्त के अभाव में भुगतान का ओचित्य स्पष्ट किया जाए।

18 **विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/ अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था , जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12

2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक समाधान विवरणी	15(1)	
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
6	मांग एवम् प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवम अस्थाई भंडार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
10	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अत: इन अभिलेखों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20 लघु आपति विवरणिका:- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

21 निष्कर्ष :- ग्राम पंचायत द्वारा विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना लेखे के प्रति उदासीनता को ही दर्शाता है, जिसे विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(2)21/2016–खण्ड–1–6251–6254 दिनाँक :24.11.2016
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत घियोरी, विकास खण्ड प्रागपुर, तहसील देहरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या **1(ख)** में

वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड प्रागपुर, तहसील देहरा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पैरा संख्या 14 के संदर्भ में परिशिष्ट (3)ग्राम पंचायत घिओरी द्वारा भंडार पंजिका में न दर्ज की गयी मदों की सूचि

<u>मनरेगा</u>

वाउचर संख्या	मास	मद का नाम	मात्रा (CFT/CUM)	दर (रुपये)	राशि (रुपये)
93	10/2013	(i)बजरा (ii)रेत	13 m^3 8 cum	175 875	2275 7000
93 (1)	10/2013	(i) रेत (ii) बजरी	6 cum 7.3 cum	875 750	5200 5475
102	10/2013	(i) पत्थर	2000	10	20,000
22	8/2014	(i) रेत (ii) बजरा (iii) पत्थर	825 (11ट्राली) 1500(20ट्राली) 12 ट्राली	3200 500 500	35200 10000 6000
15	11/2015	(i) सरिया (ii) सरिया	78.500kg 64.050	4200 4380	3297 2805
16	11/2015	(i)बजरी (ii)रेत (iii)पत्थर	58 cum 30 cum 10.5 cum	500 1200 200	29000 36000 2100
IWMP					
-	11/2015	पत्थर	1890 cft	20	37800
GENRAL CASH BOOK					
66	11/2015	(i) रेत (ii) बजरा (iii)बजरी	300 cft 230 cft 350 cft	40 40 30	12000 9200 10500
68	11/2015	(i) ईंट (ii) सरिया (iii) सरिया	600 20 kg 66.800kg	7 3280 3560	4200 656 2376
71	11/2015	टेबल	1	5000	5000
			योग		**246084**

पैरा संख्या (13)के सन्दर्भ में परिशिष्ट (2)

बिना अस्स्मेंट निर्माण कार्यों की सूचि

वाउचर संख्या	**मास**	**कार्य का नाम**	**राशि**
मनरेगा			
94	10/2013	निर्माण कार्य डंगा जसोटा से बस्सी	2142
95	10/2013	निर्माण कार्य डंगा जसोटा से बस्सी	2142
96	10/2013	निर्माण कार्य डंगा जसोटा से बस्सी	306
97	10/2013	निर्माण कार्य डंगा जसोटा से बस्सी	1836
98	10/2013	निर्माण कार्य डंगा जसोटा से बस्सी	918
सामान्य रोकड़ बही			
29	10/2013	निर्माण कार्य सराय धीमान बस्ती गुगा मंदिर	20106
18	8/2014	सफाई कार्य निचली पुखर गांब घियोरी	10800
73	11/2015	निर्माण कार्य पानी की टंकी सराय पुखर	10342
		योग	**48592**